



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17112020-223085
CG-DL-E-17112020-223085

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3584]
No. 3584]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 13, 2020/कार्तिक 22, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 13, 2020/KARTIKA 22, 1942

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2020

का. आ. 4081(अ).—दिल्ली विकास प्राधिकरण/केंद्र सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11-क के अंतर्गत दिल्ली मुख्य योजना-2021/जोन-‘एफ’ की क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/कोई सुझाव देना हो, तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 [तीस] दिन की अवधि के अंदर आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, ‘बी’ ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 को लिखित रूप में अथवा ई-मेल द्वारा mpd2021.public@dda.org.in पर भेज सकते हैं। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम, पता और टेलीफोन नंबर/संपर्क नंबर/ई-मेल आई डी भी दें, जो पठनीय हो।

प्रस्तावित संशोधन:

जहाँपनाह नगर वन, जोन-‘एफ’ में धार्मिक उद्देश्य के लिए 400 वर्ग मीटर भूमि का भूमि उपयोग ‘मनोरंजनात्मक’ से ‘सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक’ में निम्नलिखित विवरण सहित परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित किया गया है:-

अवस्थिति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	दिल्ली मुख्य योजना- 2021 एवं क्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार भूमि उपयोग	जिसमें भूमि उपयोग परिवर्तित किया जाना है	सीमाएँ
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
जोन-एफ: जहाँपनाह नगर वन, गुरु रविदास मार्ग स्थित भूमि	400.00	मनोरंजनात्मक	सार्वजनिक एवं अर्ध- सार्वजनिक (पी एस-1: धार्मिक)	उत्तर: जिला पार्क दक्षिण: जिला पार्क पूर्व: जिला पार्क, गुरु रविदास मार्ग पश्चिम: जिला पार्क

2. प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला पाठ/नक्शा निरीक्षण के लिए उपर्युक्त अवधि के दौरान सभी कार्य-दिवसों में उप निदेशक (मुख्य योजना) कार्यालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002 में उपलब्ध रहेगा। प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला पाठ/नक्शा निम्नलिखित लिंक अर्थात् <https://dda.org.in/ddaweb/MPD2021.aspx> पर भी उपलब्ध है।

[फा. सं. एफ.20(5)/2020-एमपी]

डी.सरकार, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(MASTER PLAN SECTION)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 13th November, 2020

S.O. 4081(E).—The following modification which the Delhi Development Authority/Central Government proposes to make in the Master Plan for Delhi-2021/Zonal Development Plan for Zone-‘F’ under Section 11-A of the DD Act, 1957, is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modifications may send the objection/suggestion in writing to the Commissioner-cum-Secretary, Delhi Development Authority, B - Block, Vikas Sadan, New Delhi - 110023 or via e-mail to mpd2021.public@dda.org.in within a period of 30 (thirty) days from the date of this Public Notice. The person making the objection or suggestion should also give his/her name, address and telephone/contact number(s)/E-mail ID which should be readable.

Proposed Modification:

The Change of land use of land measuring 400 sqm. from Recreational to Public & Semi-Public for Religious purpose in Jahapanah City Forest, Zone-F has been proposed with the boundary description as under: -

Location	Area (In sqm)	Land use as per MPD-2021& ZDP	Land use changed to	Boundaries
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
Zone-F: Land located at Jahapanah City Forest, Guru Ravi Das Marg.	400.00	Recreational	Public & Semi- Public (PS-1: Religious)	North: District Park, South: District Park, East: District Park, Guru Ravidas Marg, West: District Park,

The Text/Plan indicating the proposed modification is available for inspection in the office of Dy. Director (MP), Delhi Development Authority, 6th Floor, Vikas Minar I.P. Estate, New Delhi - 110002 on all working days during the period referred above. The text/plan indicating the proposed modifications is also available on the following link i.e. <https://dda.org.in/ddaweb/MPD2021.aspx>.

[F. No. F.20 (5)/2020-MP]

D.SARKAR, Commissioner-Cum-Secy.